न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 166 / 2022

1 छोटी देवी पत्नी स्व. मोहन
2 योगेश पुत्र स्व मोहन
जाति समस्त जाट निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 आकाश आयु 17 साल पुत्र स्व. मोहन जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू नाबालिग जरिये नेक्स्ट फ्रेड माता छोटी देवी पत्नी स्व. मोहन जाति जाट निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 रतन सिंह पुत्र भगवानाराम
5 हरिसिंह पुत्र भगवानाराम
6 राजेश पुत्र भगवानाराम
7 फली देवी पत्नी भगवानाराम
जाति समस्त जाट निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान एस.बी.आई) शाखा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.नं. 39/2020 उनवानी रामलाल बनाम मोहन वगै. आदेश दिनांक 27.09.2022

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय ओला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 39/2020 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 979/548 वाके ग्राम धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने वरवक्त बहस प्रकरण रिमांड करने पर सहमति व्यक्त की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर